

श्रीमान्जनी  
 मुताबिक नावलाल रिपोर्ट ग्राम - नावलाल के  
 खाता सं. 179 में प्राणी के नाम सुलोचना देवी सुरेश  
 कुमार द्वारा तथा अन्य देवताओं यथा आधार के अनुसार  
 आधार में सुलोचना देवी पति सुरेश कुमार द्वारा है।  
 अतः ग्राम नावलाल के खाता सं. 179 में प्राणी का  
 नाम सुलोचना देवी पति सुरेश कुमार किया जाना  
 उचित है।

*[Signature]*  
 हस्ताक्षर पटवारी

जांच प्रतिवेदन भू- अभिलेख निरीक्षक वृत्त - प्रक.

श्रीमान्जनी

ग्राम नावलाल के खाता सं. 179 में प्राणी का पुराना पुराना  
 नाम सुलोचना देवी पति सुरेश कुमार का आधार के अनुसार  
 आधार के अनुसार नावलाल के खाता सं. 179 में सुलोचना देवी सुरेश कुमार  
 के द्वारा सुलोचना देवी पति सुरेश कुमार किया जाना उचित है।

LR-14  
 29/05/23

*[Signature]*  
 हस्ताक्षर भू-अभिलेख निरीक्षक

जांच प्रतिवेदन तहसीलदार ( भू- अभिलेख ), श्रीमाधोपुर

श्रीमान्जनी  
 मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं सू. 200 सी. जांच के ग्राम  
 नावलाल के खाता सं. 179 में खातेदार का नाम सुलोचना देवी पति  
 सुरेश कुमार अशुद्ध है। मुताबिक पटवारी रिपोर्ट एवं संलग्न  
 दस्तावेजों के आधार खातेदार का नाम सुलोचना देवी पति सुरेश  
 कुमार द्वारा किया जाना उचित है।

तहसीलदार (भू.अ.)  
 श्रीमाधोपुर (पी.एच.)

आदेश ( शिविर स्थान - कागरीयावास ) दिनांक - 30/5/23

रिपोर्ट पत्रावली व शेष कृति प्रक संलग्न दस्तावेज एवं तहसीलदार  
 श्रीमाधोपुर के अनुसार ग्राम नावलाल के खाता सं. 179 में प्राणी  
 सुलोचना देवी पति सुरेश कुमार के द्वारा सुलोचना देवी पति  
 सुरेश कुमार द्वारा कल की स्वीकृति दी जाती है।



शिविर प्रभारी अधिकारी  
 प्रशासन गाँवों के संग अभियान - 2023  
 उपखण्ड अधिकारी - श्रीमाधोपुर  
 पंचायत समिति - श्रीमाधोपुर